राधादेवी वगैरह बनाम कालुराम वगैरह
मुकदमा नम्बर 050/2023

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

**प्रार्थीगणः–**

1. राधादेवी पत्नि बालुराम जाति गुर्जर निवासी लाखनपुरा तहसील नावां।
2. शिवपाल पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी चौसला तहसील नावां।

**बनाम**

**अप्रार्थीगणः–**

1. कालुराम पुत्र मंशाराम जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावा।
2. छोटूलाल पुत्र मंशाराम जाति–गुर्जर निवासी–लाखनपुरा तह०नावा।
3. श्रवण पुत्र मंशाराम जाति–गुर्जर निवासी–लाखनपुरा तह०नावा।
4. हीरालाल पुत्र मंशाराम जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावा।
5. छीतराम पुत्र धन्नाराम जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावा।
6. बाबुलाल पुत्र बन्नाराम जाति–गुर्जर निवासी–लाखनपुरा तह०नावा।
7. मानाराम पुत्र धन्नाराम जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावा।
8. हीराराम पुत्र घीसाराम जाति–गुर्जर निवासी–लाखनपुरा तह०नावा।
9. कोयली देवी पत्नि मोहनलाल जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावा।
10. गोपालराम पुत्र रामकरण जाति–गुर्जर निवासी–लाखनपुरा तह०नावा।
11. नन्दु देवी पुत्री मालीराम जाति–गुर्जर निवासी–लाखनपुरा तह नावा।
12. पाँचूराम पुत्र रामकरण जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावा।
13. बलराम पुत्र मालीराम जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावां।
14. बिरधी पत्नि मालीराम जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावा।
15. भंवर गुर्जर पुत्र मालीराम जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह०नावा।
16. ममता पुत्री मालीराम जाति–गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह० नावा।
17. राजुलाल पुत्र हीरालाल जाति–जाट निवासी–भामुओ की ढाणी रोजडी तह०फुलेरा जिलाा–जयपुर।
18. लालाराम पुत्र बोदुराम जाति–कुमावत निवासी–गौरवपुरा तह०नावा।
19. सन्तोष पुत्री मालीराम जाति– गुर्जर निवासी लाखनपुरा तह० नावा।
20. सुनिल पुत्र सोहन संरक्षक माता मनफुल पत्नि सोहनलाल जाति–गुर्जर निवासी–लाखनपुरा तह० नावा।
21. सोनी देवी पुत्री मालीराम जाति–गुर्जर निवासी–लाखनपुरा तह०नावा
22. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा [illegible] लेक जिला–जयपुर।
23. शाखा प्रबन्धक नागोर सहकारी भूमि बैंक लि० [illegible] नावा।
24. शाखा प्रबन्धक एच०डी०एफ०सी०बैंक लि० [illegible] साभर लेक।
25. राज० सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावा।
26. उप–पंजीयक नावा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:22 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

| राधादेवी वगैरह बनाम कालुराम वगैरह<br>मुकदमा नम्बर 050 / 2023 |
|---|

प्रार्थना पत्र बाबत :– रास्ता दिलवाने एवं कायम करने बाबत
अन्तर्गत धारा 251ए उपधारा 2 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री अमरचंद पंवार अधिवक्ता प्रार्थीगण

मुकदमा नम्बरः– 050 / 2023 निर्णय दिनांक : 27.12.2023

## निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम लाखनपुरा पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि स्थित है। मौजा ग्राम लाखनपुरा पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारो की दर्ज चली आ रही है। ग्राम लाखनपुरा पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 5.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 1.4400 हैक्टर कुल रकबा 6.91 हैक्टर व खसरा नम्बर 146 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 1.37 हैक्टर भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 खातेदार कृषक है। मौजा ग्राम लाखनपुरा के खसरा नम्बर 157 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि में प्रार्थी को अपनी कब्जा काश्त मे स्थित कृषि भूमि आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 की भूमि मौजा ग्राम लाखनपुरा के खसरा नम्बर 115 रकबा 5.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 1.4400 हैक्टर कुल रकबा 6.91 हैक्टर व खसरा नम्बर 146 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 1.37 हैक्टर भूमि मे से प्रार्थीगण उत्तरी सीव के सहारे सहारे नजरी नक्शे मे दर्शित मार्क ऐ से बी स्थान पश्चिम से पूर्व की और 185 मीटर लम्बाई का व 4 मीटर चौडाई का कुल 740 वर्ग मीटर अर्थात 0.074 हैक्टर भूमि जो कटाणी रास्ते से प्रार्थी की भूमि खेत खसरा नम्बर 157 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि मे प्रवेश तक रास्ता चाहते है। चाहे गये रास्ते का अंकन सलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत मे पहुंचने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 की भूमि मे से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग करने मे सम्पूर्णतया वंचित हो रहे है। प्रार्थना पत्र हमारी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग व उपभोग हेतु प्रस्तुत करते हुये खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग के लिये पहुंचने बाबत वाछनीय एक मात्र रास्ते के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लाखनुपरा के खसरा नम्बर 157 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि के उपयोग व उपभोग हेतु वांछनीय एक मात्र रास्ता जो अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 की भूमि ग्राम लाखनपुरा के खसरा नम्बर 144 रकबा 1.4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.37 हैक्टर भूमि के उत्तरी माठ के सहारे नजरी नक्शे मे दर्शित मार्क [illegible] 185 मीटर लम्बाई का व 4 मीटर चौडा कुल 740 वर्ग मीटर भूमि कटाणी रास्ता [illegible] प्रार्थी की भूमि खेत खसरा नम्बर 157 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि मे प्रवेश तक [illegible] निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:22 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं भू.अ. निरीक्षक लूणवां से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणराम जाट, सुरेन्द्र सेवर ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26 के तामील शुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 24 की ओर से अधिवक्ता श्री दातार सिंह ने अंडरटेकिंग दी। अप्रार्थी संख्या 5, 7, 9, 11, 17, 18, 22 के जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भिजवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 24 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 8 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। भू.अ. निरीक्षक लूणवां ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 157 में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्त की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न पेश की। प्रस्तावित रास्ते की सीमा में मौके पर कोई वृक्ष, निर्माण, कुंआ, बोरवेल स्थित नहीं है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 144, 146, 147 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौडा प्रस्तावित है। खसरा नम्बर 144 में से रास्ते में 44×4=176 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 146 में से 68×4=272 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 147 में से 80×4=320 वर्गमीटर अर्थात् प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0768 हैक्टर अर्थात 768 वर्गमीटर बनता है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित भूमि नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि मौजा ग्राम लाखनपुरा पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु ग्राम लाखनपुरा के खसरा नम्बर 144 रकबा 1. 4400 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 1.37 हैक्टर भूमि के उत्तरी माठ के सहारे उत्तर से दक्षिणी 185 मीटर लम्बाई का व 4 मीटर चौडा कुल 740 वर्गमीटर भूमि का रास्ता चाहते है। भू.अ. निरीक्षक लूणवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है तथा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित खसरा नम्बर 144 में से रास्ते में 44×4=176 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 146 में से 68×4=272 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 147 में से 80×4=320 वर्गमीटर अर्थात् प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 0.0768 हैक्टर अर्थात 768 वर्गमीटर है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:22 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मौजा ग्राम लाखनपुरा पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद मे स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 2.79 हैक्टर भूमि में आवागमन करने हेतु ग्राम लाखनपुरा के खसरा नम्बर 144 में से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व 44 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 176 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 146 में से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व 68 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 272 तथा खसरा नम्बर 147 में से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पश्चिम से पूर्व 80 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई कुल 320 वर्गमीटर कुल 768 वर्गमीटर अर्थात् 0.0768 हैक्टर भूमि का राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार नावां को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 को उनके हक हिस्से की भूमि की नियमानुसार नवीनतम प्रचलित डीएलसी दर की दोगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद व नक्शे में तरमीम करें तथा उक्त राशि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 को उनके हक हिस्से अनुसार अदा करें। मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। संबंधित खातेदारों का संबंधित बैंक में रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:22 IST
Reason: SelfAttested